मुआवज़ा दरों का निर्धारण करना

यदि आप कार्य-संबंधी किसी चोट के कारण कार्य पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप पारिश्रमिक क्षति प्रतिस्थापन लाभों के हकदार हो सकते हैं।

आपके पारिश्रमिक क्षति प्रतिस्थापन लाभों के भुगतान के लिए आपके निर्णायक या मामला प्रबंधक एक मुआवज़ा दर नियत करेंगे। यह दर आपकी दुर्घटना/चोट के समय आपके द्वारा अर्जित की जाने वाली धनराशि पर आधारित है और प्राय: अनेक चीजों पर विचार करते हुए इसका निर्धारण किया जाता है :

- कर देय रोजगार अर्जन (यदि आप अपनी दुर्घटना की तारीख से दूसरे रोजगार में काम कर रहे हैं, तो उस रोजगार से कर योग्य आय पर भी विचार किया जा सकता है)।
- अवकाश भुगतान (यदि इसका भुगतान नियमित आधार पर किया जाता है, जैसे प्रत्येक वेतन चैक से)।
- सांविधिक अवकाश (यदि वे आपके नियमित निर्धारित कार्य सप्ताह का भाग हैं)।
- समयोपरि (ओवरटाइम) भुगतान (यदि यह आपकी सकल आय में शामिल हैं)

ध्यान दें: रोजगार बीमा लाभों को आय नहीं माना जाता है।

आपकी मुआवज़ा दर, आपकी दुर्घटना के समय पर आपकी निवल आय की 90 प्रतिशत नियत की जाती है। यह *Alberta कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम (Alberta Workers' Compensation Act)* की धारा 56 पर आधारित है।

निम्नलिखित संभाव्यता को घटाने के द्वारा निवल आय की गणना की जाती है :

- आय कर,
- रोजगार बीमा प्रीमियम तथा
- आपकी सकल रोजगार आय धनराशि से कनाडा पेंशन प्लान (CPP) अंशदान।

ये कटौतियां *कनाडा राजस्व एजेंसी (Canada Revenue Agency)* द्वारा उपलब्ध कराई गई तालिकाओं पर आधारित हैं। हम, संघीय सरकार के लिए न तो कोई कटौती करते हैं और न ही कोई धनराशि भेजते हैं।

हमारे द्वारा मुआवज़ा दर की गणना करने के समय प्रयोग में लाया जाने वाला सामान्य समीकरण नीचे दिया गया है :

- सकल आय *घटा* आय कर, रोजगार बीमा, CPP निवल आय के *बराबर* है।

  इसके बाद हम निवल धनराशि के 90 प्रतिशत की गणना करते हैं।

  ध्यान दें: हमारी अधिकतम सकल आय की सीमा होती है जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। वर्ष 2016 के लिए वह अधिकतम सकल आय $98,700 थी जिस पर मुआवज़ा दे सकते थे।

स्थायी रोजगार स्थिति और अस्थायी रोजगार स्थिति

आपके मुआवज़े की दर इस बात पर निर्भर करती है कि आप दुर्घटना के समय स्थायी रोजगार में थे या अस्थायी रोजगार में।

स्थायी रोजगार स्थिति का अर्थ है कि आपका रोजगार बिना किसी बाधा के 12 महीनों या उससे अधिक समय तक चलता। स्थायी कर्मचारियों के लिए मुआवज़े की दरें निवल आय के 90 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इसे **धारा 56** दर कहा जाता है।

उदाहरण: *कार्य के दौरान बिल जब घायल हुआ, तब वह प्रति वर्ष के दौरान 12 महीने के रोजगार पर था। बिल के नियोक्ता (employer) ने पुष्टि की कि उसकी वार्षिक सकल आय $60,000 है।*

धारा 56 के आधार पर बिल के मुआवज़े की दर निर्धारित करने के लिए हम उसकी निवल आय के 90 प्रतिशत की गणना के लिए उसकी वार्षिक सकल आय $60,000 का प्रयोग करेंगे।

अस्थायी रोजगार स्थिति का अर्थ है कि आपके रोजगार में मौसमी विराम, काम-बंदी या कार्य प्रदान करने का अभाव है और यह लगातार 12 महीनों तक नहीं चल पाता। अस्थायी कर्मचारियों के लिए मुआवज़े की दो दरें होंगी – एक धारा 56 दर और एक आधार दर।

अस्थायी कर्मचारी के लिए धारा 56 दर, दुर्घटना के समय पर निवल आय के 90 प्रतिशत के आधार पर नियत की जाती है। यदि चोट न लगी होती, तो यह दर रोजगार के अंतिम अनुमानित दिवस तक प्रभावी है। इस तारीख के बाद, आधार दर शुरू हो जाती है। आधार दर भी आपकी निवल आय के 90 प्रतिशत के आधार पर नियत होती है और इसकी गणना इस सूत्र का प्रयोग करके की जाती है:

- धारा 56 सकल आय *गुणा* रोजगार मौसम में माह की संख्या को प्रतिवर्ष 12 महीनों से *भाग देने* पर आधार दर *प्राप्त* होती है।

उदाहरण: *स्यू, एक वर्ष में छह माह अर्थात 1 जनवरी से 30 जून तक रोजगार पर थी जब वह कार्य के दौरान घायल हो गई।*

स्यू के नियोक्ता ने पुष्टि की कि उसकी सकल आय $4,000 प्रति माह है।
$4,000 x 12 माह = $48,000 वार्षिक सकल आय।

स्यू की धारा 56 मुआवज़ा दर निर्धारित करने के लिए हम उसकी निवल आय के 90 प्रतिशत की गणना के लिए उसकी वार्षिक सकल आय $48,000 का प्रयोग करेंगे।

1 जुलाई से (उसके रोजगार मौसम के समाप्त होने के बाद), स्यू की आधार दर की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी :

$48,000 (धारा 56 सकल आय) गुणा छह रोजगार माह को प्रति वर्ष 12 माह से भाग करने पर $24,000,

स्यू के आधार मुआवज़े की दर निर्धारित करने के लिए हम उसकी निवल आय के 90 प्रतिशत की गणना के लिए उसकी वार्षिक सकल आय $24,000 का प्रयोग करेंगे।

विकलांगता की पुनरावृत्ति

यदि आप उसी दावे के तहत दोबारा विकलांग हो जाते हैं, तो आपके मुआवज़े की दर धारा 56 या पूर्व में गणना की गई आधार दर से कम नहीं हो सकती। अधिक आय प्रदर्शित करने के लिए कुछेक परिस्थितियों के अधीन आपकी दर को बढ़ाया जा सकता है। आपका निर्णायक या मामला प्रबंधक आपको बता सकता है कि क्या आप पात्र हैं।